राजस्थान सरकार

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

7 बी, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

Tel .0141-2708617 Email – rscpcr@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 19( )/बाल आयोग/21-22/ 3612 दिनांक 08.10.2021

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
(समस्त जिला) राजस्थान।

विषयः– राज्य के समस्त विद्यालयों के पास स्थित तम्बाकू जनित उत्पादों की दुकानों को हटवाने व कोटपा अधिनियम की पालना करवाने के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17 के तहत किया गया है, जो अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत न्यायालीय अधिकारों से संपन्न वैधानिक संस्था के रूप में बाल अधिकारों के हनन की शिकायतों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत सुन कर निर्णय दे सकता है।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उल्लेख है कि राज्य सरकार के निरोगी राजस्थन एवं नशा मुक्त भारत के तहत राजस्थान के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त किया जाना है। सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003 (कोटपा) के तहत प्रत्येक विद्यालय के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतया प्रतिबन्धित है।

उक्त क्रम में लेख है कि बाल हित को दृष्टिगत रखते हुए आपके जिले के समस्त विद्यालयों के बाहर तम्बाकू जनित उत्पादों की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगवाने व कोटपा अधिनियम की पालना करवाने का श्रम करावें तथा उक्त संबंध में की गई कार्यवाही की तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग कार्यालय को 5 दिवस में भिजवाने का श्रम करावें। साथ ही आपके जिले के समस्त विद्यालयों की कोटपा अधिनियम की पालना रिपोर्ट आयोग कार्यालय को ईमेल आईडी rscpcr@rajasthan.gov.in पर प्रतिमाह प्रेषित करवाने का श्रम करावें।

8/10

(महेन्द्र प्रताप सिंह)
R.A.S.
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
जयपुर

क्रमांक :- एफ 19( )/बाल आयोग/21-22/3613 दिनांक 08.10.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. जिला कलक्टर, समस्त, राजस्थान
2. जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, समस्त, राजस्थान।
3. सचिव, शिक्षित रोजगार केन्द्र प्रबन्धक समिति, राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
जयपुर